न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 13/2022, जिला दौसा

1. रामहेत पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी बगडेडा तहसील बसवा जिला दौसा।

—अपीलान्ट्

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र कंवरपाल
2. जगदीश पुत्र रामलाल
3. कन्हैयालाल पुत्र राजू
   समस्त जाति गुर्जर निवासी बगडेडा तहसील बसवा जिला दौसा।
4. आवंटन सलाहकार समिति बांदीकुई बसवा जरिये उप जिला कलक्टर दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.01.1997 बअदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) प्रार्थना पत्र संख्या 15/1996 बउनवानी कन्हैयालाल व अन्य बनाम रामहेत वगै0 में पारित किया गया।

उपस्थित—

1. श्री विवेक शर्मा वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल रेस्पोडेण्ट नं. 4 व 5 की ओर से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक —17.08.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 20.01.1997 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) इस आशय के साथ पेश किया कि वाके ग्राम बगडेडा तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नं. 28 में से 3 बीघा भूमि के अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 24.05.1989 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दौसा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.01.1997 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किये गये आवंटन दिनांक 24.05.1989 को निरस्त करने के आदेश दिये गये।

अति0 जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 20.01.1997 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामहेत पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय अति0 जिला कलक्टर दौसा दिनांक 20.01.1997 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। रेस्पो संख्या 1 से 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम बगडेडा तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नं. 28 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति, बांदीकुई तहसील बसवा द्वारा दिनांक 24.05.1989 को किया गया जिसको नजरअन्दाज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की तामिल, सुनवाई

Scanned by CamScanner

व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना मात्र रेस्पोडेण्ट के कथनों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट के कथनानुसार आवंटित भूमि की किस्म की जॉच नहीं की गई जो कि आवंटन के समय भूमि की किस्म सिवायचक दर्ज थी। उक्त खसरा नं. 28 के हाल खसरा नं. 677/1111 कायम किये गये हैं जिसकी भी वर्तमान में किस्म सिवायचक ही दर्ज है। आवंटन पश्चात् अपीलार्थी निरन्तर रूप से उक्त अपीलाधीन भूमि पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त भूमि का पर्चा लगान आज भी अपीलांट के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को इस निर्णय की जानकारी 17.02.2022 को हुई जब तहसीलदार द्वारा मौके पर आकर अपीलांट को भूमि खाली करने को कहा। अतः मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर दौसा, दिनांक 20.01.1997 निरस्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम बगडेडा तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नं. 28 में से 3 बीघा भूमि की किस्म चारागाह है जो कि सार्वजनिक भूमि होने के कारण आवंटित नहीं की जा सकती है। पटवारी द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में भूमि की किस्म अंकित नहीं की है। अपीलांट द्वारा आवंटन की शर्तों का उल्लघंन करते हुये गलत तरीके से आवंटन प्राप्त किया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित जॉच व प्रस्तुत खसरा गिरदावरीयों के अवलोकन पश्चात् भूमि की किस्म को चारागाह मानते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.1997 पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि उसे 24.05.1989 को खसरा नं. 28 में से 3.00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था जिसके विरूद्ध 14(4) में प्रार्थना पत्र पेश होने पर अति0 जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 20.01.1997 के द्वारा आवंटन को निरस्त कर दिया गया। उक्त प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट का यह भी कथन है कि अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 17.02.2022 को उस समय हुई जब तहसीलदार और उनका स्टॉफ मौके पर आया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट द्वारा अति0 जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 20.01.1997 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई थी जो दिनांक 24.07.2001 को अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। इसलिए अपीलांट का यह कथन माना जाने योग्य नहीं है कि जानकारी 17.02.2022 को हुई क्योंकि स्वयं अपीलांट द्वारा अति0 जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 20.01.1997 के विरूद्ध पूर्व में ही राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई थी। ऐसी स्थिति में इस अपील को पेश करने का विधिक अधिकार नहीं रहा है तथा अपील चलने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दौसा का निर्णय दिनांक 20.01.1997 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश भारद्वाज)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner